



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27372-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1981/2026

आसिफ एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: आशीष कुमार मिश्रा, सुधा तिवारी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचीगण द्वारा थाना छाता, जनपद मथुरा में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 351(2), 125, 131, 132, 121(1) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 305/2025 के फलस्वरूप हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दिनांक 12.06.2025 को खंडित (क्वैश) करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचीगण पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचीगण के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित एफ.आई.आर. खंडित किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि याचीगण द्वारा किए गए हमले के कारण तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण (मेडिकल) किया गया है। इसके अलावा, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी', जो (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्ट किया गया है, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य', जो (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया है, और माननीय शीर्ष न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपील संख्या 843/2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' के मामलों में प्रतिपादित कानून पर भरोसा जताया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण द्वारा किए गए हमले के कारण तीन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और तीन पुलिसकर्मियों के शरीर पर मिली चोटों को देखते हुए, हमारी यह राय है कि याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता है।
7. अतः, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
8. तथापि, यदि याचीगण उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदनों पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जाए।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"